>

Title : Need to denotify the Wild Life Sanctuaries in Himachal Pradesh with a view to protect the interest of the local people facing threat of displacement.

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): हिमाचल प्रदेश में भंगाल क्षेत्र, पौंगबांध क्षेत्र, गोबिन्दसागर, श्रीनयना देवी, शिल्ला, दाड़लाघाट, खोखण, नारगू, शिकारीमाता, रेणुका, खजियार व धौलाधार सहित अनेक स्थानों पर लगभग 700 गांवों में स्थित एक लाख बीस हजार से अधिक हिमाचलवासी अत्यंत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की नोटिफिकेशन के कारण इन स्थानों पर वन्य जीवों हेतु अभ्यारण्य घोषित हो चुके हैं तथा सख्त कानूनों एवं नियमों के कारण विकास के सभी कार्य ठप्प हो चुके हैं, लोगों को प्रतिदिन के आवागमन सहित अन्य दैनिक कार्यों में भी बाधायें उत्पन्न हो रही हैं तथा अपने वृक्ष काटने व बेचने पर भी प्रतिबंध लग चुका है। पौंग झील के किनारे 1450 फीट के 5 कि0मी0 के सर्कल में घिरे सिहाल, लोहारा, जखाड़ा, पद्दा, मंजूही, भरमाड़, मैरा, ज्वाली, सिधाया हरसर, घाड़जड़ोट, अमलेला, नगरोटा सूरियां, गुलेर-हरिपुर, देहरा, डाडासीबा, सियूल, टैरिस, खटियाड़, दियाल, बाड़ी, धमेटा व चाटा सहित सैंकड़ों गांव तथा भंगाल क्षेत्र की ग्यारह ग्राम पंचायतों के लाखों प्रभावित लोग अनेक कठिनाइयों, शंकाओं एवं दुखों में रह रहे हैं। यहां तक कि भंगाल क्षेत्र के लोगों ने लोक सभा चुनावों (2009) का भी बहिष्कार कर दिया था। अतः भारत सरकार से विशेष आग्रह है कि इस समस्या का तुंत हल करके इन गांवों में नोटिफाइड अभ्यारण्य को डेनोटिफाइ करके हिमाचल प्रदेश के लाखों प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करें।